भारत गणराज्य सरकार
और
मोरक्को साम्राज्य सरकार
के बीच
विमान सेवा करार

भारत गणराज्य सरकार तथा मोरक्को साम्राज्य सरकार जिन्हें एतद्पश्चात 'संविदाकारी पक्षकार' कहा गया है;

दिनांक 07 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संविदाकारी पक्षकार होने के नाते;

अपने-अपने राज्यक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवाओं को बढ़ावा देने की इच्छा से;

एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा से; तथा

दोनों संविदाकारी पक्षकार अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने की इच्छा से और विमानों की सुरक्षा के विरूद्ध कृत्यों अथवा खतरों, जिनकी वजह से व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा का जोखिम बढ़ता है, विमान सेवाओं के प्रचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं तथा नागर विमानन संरक्षा के संबंध में लोगों का विश्वास कम होता है; के बारे में अपनी गंभीर चिंता की पुन: पुष्टि करते हुए,

निम्न प्रकार से करार करते हैं:

अनुच्छेद-1
परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्द-

(क) 'अभिसमय' का आशय, 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें ऐसा कोई संशोधन भी शामिल है जो उसी अभिसमय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षकारों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार ऐसे कोई भी अनुबंध अथवा संशोधन भी शामिल है जो दोनों पक्षकारों के लिए किसी भी निश्चित समय से प्रभावी औरअभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन किसी भी अनुबंध अथवा संशोधन को अपनाया गया है

(ख) 'करार' का आशय इस करार, इसके अनुबंधों तथा इनमें किए गए किसी भी संशोधन से है;

(ग) "वैमानिक प्राधिकारी" का आशय:

(i) मोरक्को गणराज्य के मामले में, नागर विमानन के प्रभारी मंत्री से है;

(ii) भारत गणराज्य के मामले में, नागर विमानन महानिदेशालय से है; अथवा

(iii) दोनों मामलों में, उपरोल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रयोज्य कार्यों या ऐसे ही कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति या निकायसे है;

(घ) 'विमान सेवा', 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, 'एयरलाइन' तथा 'गैर यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना' का आशय उसी अर्थ से है जो इनके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 96 में दिया गया है;

(ङ) 'नामित एयरलाइन' का आशय एक ऐसी एयरलाइन से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (एयरलाइनों का नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो;

अनुच्छेद-2
अधिकार प्रदान करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार को इस करार के अनुबंध के उपयुक्त खंड अथवा भाग में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को इसके पश्चात क्रमश: 'सहमत सेवाएं'तथा "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है।

2. इस करार के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:-

(क) बिना अवतरण किए दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने का अधिकार;

(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार; और

(ग) विनिर्दिष्ट स्थानों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय,यात्रियों, कार्गोऔर डाक में, पृथक तौर पर या संयुक्त रूप से, अंतरराष्ट्रीय यातायात को उतारने या लेने के उद्देश्य से, इस करार के अनुबंध में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट स्थानों पर, उक्त राज्यक्षेत्र में विराम करने का अधिकार;और

(घ)इस करार में अन्यथा विनिर्दिष्ट कोई अधिकार।

3. इस करार के अनुच्छेद 3 (नामन और प्राधिकार) के अधीन उन नामित एयरलाइनों से अलग, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनें) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने की हकदार होगी। ऐसी एयरलाइन (एयलाइनों) से, आवेदन पर विचार करने वाले संविदाकारी पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्यत: लागू विधियों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाना अपेक्षित होगा।

4. इस अनुच्छेद की किसी भी बात का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में यात्रियों, उनके बैगेज, कार्गो या डाक को विमान में चढ़ाने का विशेषाधिकार है, जो उस अन्य संविदाकारी पक्षकार के राज्य में ही किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए अभिप्रेत हैं।

5. यदि एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन विशेष या असामान्य परिस्थितियों के कारण अपनी सामान्य मार्ग-प्रक्रिया के अनुसार सेवा का प्रचालन करने में असमर्थ है तो दूसरा संविदाकारी पक्षकार अस्थायी रूप से उपयुक्त मार्गों की पुन: व्यवस्था कर ऐसी सेवा का प्रचालन जारी रखने की सुविधा करने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगा जैसा कि इस संबंध में पक्षकारों द्वारा परस्पर निर्णय लिया गया है।

6. एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन को दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले एयरवेज, एयरपोर्ट तथा अन्य सुविधाओं का बिना किसी भेदभाव के आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3
एयरलाइनों का पदनामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करने के प्रयोजन से एयरलाइन या एयरलाइनों को नामित करने तथा इस प्रकार के नामन को वापस लेने अथवा फेर-बदल करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से नामित करने की जानकारी लिखित रूप से दूसरे संविदाकारी पक्षकार को राजनयिक माध्यमों द्वारा दी जाएगी तथा इसकी पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अनुबंध में विनिर्दिष्ट की गई विमान सेवाओं के संचालन के लिए प्राधिकृत है।

2. इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से किसी भी प्रक्षकार की नामित एयरलाइन से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी न्यूनतम प्रक्रियागत विलंब के साथ उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार प्रदान करेंगे, बशर्ते:-

   (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण उस एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार, संविदाकारी पक्षकार के राष्ट्रिकों, या दोनों के पास हो;

   (ख) नामित एयरलाइन उस हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र या किसी अन्य समतुल्य दस्तावेज की धारक हो जो उस एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार की विधियों और विनियमों के अनुसार वैध हो;

   (ग) एयरलाइन को नामित करने वाला संविदाकारी पक्षकार के पास उस एयरलाइन का विनियामक नियंत्रण हो और इसे अनुरक्षित करता हो;

   (घ) नामित एयरलाइन उस आवेदन (आवेदनों) पर विचार करने वाले संविदाकारी पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्यत: लागू कानूनों तथा विनियमों के तहत विहित शर्तों को पूरा करने की योग्यता प्राप्त हो;

(च) "विमान उपस्करों", "भंडार सामग्री", और "स्पेअर पार्ट्स" का आशय अभिसमय के अनुबंध 9 में इन्हें क्रमश प्रदान किए गए अर्थ से है;

(छ) "विनिर्दिष्ट मार्गों" का आशय वर्तमान करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों से है;

(ज) "क्षमता" का आशय इस करार के अधीन मुहैया कराई जाने वाली सेवा की मात्रा (मात्राओं) से है, जिसे सामान्यत: एक बाजार (नगर युग्म, या देश से देश) में या/और ऑफर किए गए कार्गो के टनों या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, सीजन या वार्षिक रूप से, किसी मार्ग पर उड़ानों (आवृत्तियों) की संख्या के रूप में मापा जाता है;

(झ) "टैरिफ" का आशय यात्रियों, बैगेज, कार्गो के वहन के लिए अदा की जाने वाली कीमतों और उन शर्तों से है जिनके अधीनये कीमतें लागू होती हैं, जिनमें उनके एजेंट, ऐसे किराए, दर या प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तें शामिल हैं, किंतु डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं हैं;

(ञ) "राज्यक्षेत्र" का आशय, मोरक्को के मामले में मोरक्को साम्राज्य की सम्प्रभुता के अंतर्गत भूक्षेत्रों, आंतरिक समुद्र और उनके समीपवर्ती राज्यक्षेत्रीय समुद्र शामिल हैं, और भारत के मामले में इनका वही आशय होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इन्हें दिया गया है।

(ट) "प्रयोक्ता प्रभारों" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा एयरलाइनों पर हवाईअड्डा सम्पत्ति ये सुविधाओं याहवाई दिक्चालन या विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं - जिसमें विमानों, उनके कर्मीदल, यात्रियों, बैगेज और कार्गो से संबंधित सेवाएं और सुविधाएं भी शामिल हैं - के प्रावधान के लिए लगाए गए प्रभार से है।

(ठ) "इंटरमोडल हवाई पारवहन" का आशय विमान द्वारा और परिवहन के एकाधिक माध्यमों द्वारा, पारिश्रमिक या किराए के लिए, पृथक रूप से या संयुक्त रूप से, यात्रियों, बैगेज, कार्गो और डाक के सार्वजनिक वहन से है;

संदेह की स्थिति से बचने के लिए, एकवचन में किए गए सभी संदर्भों में बहुवचन शामिल होगा, और बहुवचन में किए गए सभी संदर्भों में एकवचन शामिल होगा।

(ङ) एयरलाइन को नामित करने वाला संविदाकारी पक्षकार अनुच्छेद-13 (हवाई संरक्षा) तथा अनुच्देद-14 (विमानन सुरक्षा) में निर्धारित मानकों को अनुरक्षित तथा प्रशासित कर रहा हो।

अनुच्छेद- 4

प्रचालनिक प्राधिकारों को रोक कर रखना, प्रतिसंहरित, निलम्बित या सीमित करना

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार, अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदत्त प्रचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन कर सकता है अथवा निम्न में से किसी भी स्थिति में जैसी आवश्यक समझे शर्तें लगा सकता है, जहां:-

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण दूसरे संविदाकारी पक्षकार, अथवा उस संविदाकारी पक्षकार के राष्ट्रिकों में, या दोनों मेंविहित नहीं है।

(ख) नामित एयरलाइन कोई हवाई प्रचालक प्रमाणपत्र या कोई समतुल्य दस्तावेज धारित नहीं करती जो एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार की लागू विधियों और विनियमों के अनुसार वैध हों;

(ग) एयरलाइन को नामित करने वाले वाले संविदाकारी पक्षकार के पास उस एयरलाइन का प्रभावी विनियामक नियंत्रण न हो;

(घ) नामित एयरलाइन आवेदन या आवेदनों पर विचार करने वाले संविदाकारी पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्यतया लागू विधियों और विनियमों के अधीन निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल हो चुकी हों;

(ङ) नामित एयरलाइन अनुच्छेद 13 (हवाई संरक्षा) और अनुच्छेद 14 (विमानन सुरक्षा) में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही हो।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैरा (1) के उप-पैरा (ग), (घ) और (ङ) का और आगे अतिलंघन रोकने के लिए तात्काल कार्रवाई करना अनिवार्य न हो, वर्तमान करार के अनुच्छेद 20 (परामर्श और संशोधन) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित अधिकारों का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्षकार के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 5
सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइनों के लिए अपनेसंबंधित राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के लिए निष्पक्ष तथा समान अवसर होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति के संबंध में दोनो पक्षकारों के बीच सहमति होगी।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृति में किसी प्रकार की वृद्धि, दोनों पक्षकारों के बीच करार के अध्यधीन होगी। ऐसे करार अथवा समाधान के लंबित होने की स्थिति में पहले से लागू क्षमता तथा आवृति संबंधी पात्रताएं विद्यमान रहेंगी।

अनुच्छेद-6
विधियों और विनियमों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करते समय, इसके भीतर रहते हुए अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित उनके कानूनों, विनियमों तथा कार्यविधियों का अनुपालन किया जाएगा।

2. एक संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसके भीतर रहते हुए अथवा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से विमान में यात्रियों, सामान, कर्मीदल अथवा कार्गो के प्रवेश, क्लीयरेंस, विमान सुरक्षा, आप्रवास, पासपोर्टके साथ साथ सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध अथवा (डाक के मामले में) डाक विनियम सहित प्रवेश अथवा प्रस्थान करने वाले से संबंधित इसके कानून और विनियमों तथा कार्यविधियों का अनुपालन दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मीदल अथवा कार्गो अथवा डाक के द्वारा अथवा उनकी ओर से अनुपालन किया जायेगा।

3. सामान्य तौर पर, कोई भी संविदाकारी पक्षकार इस अनुच्छेद में उपबंधित कानूनों तथा विनियमों तथा प्रक्रियाओं को लागू करने में समान अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन पर किसी अन्य एयरलाइन अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइन को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगा।

अनुच्छेद 7
प्रत्यक्ष पारगमन

किसी भी संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष पारगमन वाले यात्री, बैगेज तथा कार्गो, जो इस प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाईअड्डा क्षेत्र से बाहर न जा रहे हों -विमानन सुरक्षा, नारकोटिक्स कन्ट्रोल, प्रतिबंधित मदों से संबंधित कारणों या विशेष परिस्थितियों को छोड़कर - सामान्यकृत नियंत्रण के अध्यधीन होंगे।

अनुच्छेद- 8
प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों)पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण, गैर-पक्षपातपूर्ण तथा प्रयोक्ताओं की सभी श्रेणियों के बीच समान मात्रा में होंगे। ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों का आकलन दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के लिए ऐसी शर्तों पर किया जाएगा जो प्रभारों का आकलन किए जाते समय किसी अन्य एयरलाइन के लिए उपलब्ध शर्तों से कम अनुकूल न हो।

2. दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभारों में, हवाई अड्डे पर अथवा हवाई अड्डे की प्रणाली के भीतर उपयुक्त हवाई अड्डे, पर्यावरणीय, विमान दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा सेवाओं को प्रदान करने वाले सक्षम लगाने वाले प्रभार प्राधिकारियों की पूर्ण लागत परिलक्षित होगी किन्तु ये प्रभार इनकी पूर्ण लागत से अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में, मूल्यह्रास के पश्चात, परिसंपत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल है। जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार किए जाते हैं उन्हें कुशल तथा किफायती आधार पर उपलब्ध कराया जाए।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने क्षेत्र के भीतर सक्षम प्रभार प्राधिकारियों तथा सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रयोग करने वाली नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार प्रभार लगाने वाले सक्षम प्राधिकारियों तथा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को ऐसी सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेगा जैसाकि इस अनुच्छेद के पैरा (1) तथा (2) में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप प्रभारों की औचित्यपूर्णता की सटीक तथा पारदर्शी समीक्षा किए जाने के लिए आवश्यक हो। प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार प्रभार लगाने वाले सक्षम प्राधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोक्ता प्रभार में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव के लिए प्रयोक्ताओं को औचित्यपूर्ण नोटिस दे ताकि प्रयोक्ता इन परिवर्तनों को क्रियान्वित किए जाने से पहले अपने मत व्यक्त कर सके।

4. अनुच्छेद 22 (विवादों का समाधान) के अनुसरण में विवाद समाधान प्रक्रियाओं के दौरान, किसी भी संविदाकारी पक्षकार को, इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान के उल्लंघन का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, यदि;

   (i) उसने उस प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा करने का जिम्मा लिया हो जो एक औचित्यपूर्ण समय के भीतर दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा शिकायत किए जाने के अध्यधीन है; और

   (ii) ऐसी समीक्षा करने के पश्चात, उसने इस अनुच्छेद के विपरीत किसी भी प्रभार अथवा परिपाटी के निवारक उपाय के प्रयोजनार्थ अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी कदम उठाए हैं।

अनुच्छेद- 9
टैरिफ

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफों की स्थापना प्रचालन की लागत तथा युक्तिसंगत लाभ और अन्य एयरलाइनों की टैरिफ सहित सभी संगत कारकों पर ध्यान देते हुए युक्तिसंगत स्तरों पर की जाएगी।

2. पैरा (1) के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ को एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अन्य संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3. उपर्युक्त के होते हुए भी, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को निम्नलिखित के संबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:

क) ऐसी टैरिफों को रोकना जिनके अनुप्रयोग से प्रतिस्पर्धारोधी प्रतिक्रिया होती हो, जिनके अनुप्रयोग से प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार संरचित होता हो;

ख) उपभोक्ताओं का उन कीमतों से संरक्षण करना जो किसी प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के कारण अत्यधिक या प्रतिबंधात्मक हो;

ग) एयरलाइनों का उन कीमतों से संरक्षण करना जो लूटने वाली या कृत्रिम रूप से निम्न हो।

4. इस अनुच्छेद के पैरा (3) में निर्धारित प्रयोजनों के लिए एक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों से यह अपेक्षा रख सकते हैं कि वे टेरिफों की स्थापना से संबंधित जानकारी मुहैया कराएं।

5. यदि एक संविदाकारी पक्षकार को यह विश्वास है कि दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन द्वारा वसूली जाने वाली प्रस्तावित टैरिफ इस

अनुच्छेद के पैरा (3) में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है तो वह यथासंभव शीघ्र दूसरे संविदाकारी पक्षकार को अपने असंतोष के कारणों से अवगत कराएगा तथा परामर्श का अनुरोध करेगा और यह परामर्श अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि संविदाकारी पक्षकार असंतोष के कारणों से टैरिफ के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचते हैं तो प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को उस करार को प्रभाव में लाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे। ऐसे आपसी करार के अभाव में पूर्व में विद्यमान टैरिफ प्रभावी रहेगी।

अनुच्छेद- 10
अनुसूचियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी अन्य संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे सहमत सेवाएं आरंभ करने के कम से कम 30 दिन पहले, उड़ान अनुसूचियों, जिनमें सेवा का प्रकार और इसकी आवृत्ति, प्रयुक्त किए जाने वाले विमानों का प्रकार तथा प्रत्येक स्थान पर उड़ान के समय से संबंधित सूचना शामिल हो, उन्हें उनके विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे। इसी प्रकार की सूचनाप्रत्येक आयटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यातायात सीजन से कम से कम 30 दिन पहले और जब कभी भी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन(ने) दूसरे संविदाकाकरी संविदाकारी पक्षकार के विमानन प्राधिकारियों को इस करार की अपेक्षाओं का यथोचित रूप से अनुपालन किए जाने के संबंध में संतुष्ट करने के लिए यथोपेक्षित कोई अन्य सूचना भी प्रदान करेगी।

अनुच्छेद- 11
आंकड़ों का आदान-प्रदान

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के आरोहण और अवतरण के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं।
2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी, अनुरोध किए जाने पर, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के लिए और वहां से वाहित यातायात के वास्तविक प्रारंभिक स्थल और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवाएंगे।

अनुच्छेद 12
प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों की मान्यता

1. एक संविदाकारी पक्षकार द्वारा जारी या वैध करार दिए गए और अभी तक लागू उड़नयोग्यता प्रमाणपत्रों, सक्षमता प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों को दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा सहमत सेवाएं प्रचालित करने के उद्देश्य से वैध के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी, बशर्ते जिन अपेक्षाओं के अधीन ऐसे प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं या वैध करार दी गई हैं, वे उन न्यूनतम मानकों के समान या ऊपर हों जिन्हें अभिसमय के अनुसरण में स्थापित किया जा सके।

2. तथापि, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के पास, अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ानों या इसके भीतर अवतरण के उद्देश्य से, दूसरे संविदाकारी पक्षकारद्वारा अपने स्वयं के राष्ट्रिकों को प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाणत्रों और अनुप्तियों को वैध के रूप में मान्यता देने से मना करने का अधिकार आरक्षित है।

अनुच्छेद 13
हवाई संरक्षा

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार, वैमानिकी सुविधाओं, विमान कर्मीदल, विमान और नामित विमान कंपनी के प्रचालन से संबंधित अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन के संबंध में अनुरक्षित संरक्षा मानकों से संबंधित परामर्श करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श इस अनुरोध के तीस (30) दिन के भीतर अथवा दोनों पक्षकारों के बीच जैसी सहमति हो, उतनी लंबी अवधि के भीतर किए जाएंगे।

2. यदि, परामर्श के बाद, एक संविदाकारी पक्षकार को यह पता चलता है कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों, जिन्हें अभिसमय के अनुसार संरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है को अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइनों के संबंध में प्रभावी रूप से अनुरक्षित और प्रशासित नहीं किया जा रहा है तो अन्य संविदाकारी पक्षकार इस प्रकार के निष्कर्ष तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले कदमों को अधिसूचित कर सकेगा, तथा अन्य संविदाकारी पक्षकार उपयुक्त सुधारक कार्रवाई कर सकेगा। दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा तीस (30) दिन या सहमत हो सकने वाली लम्बी अवधि के भीतर उपयुक्त कार्रवाई करने में विफल रहने की स्थिति में, दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकार की निलम्बित या सीमित किए जाने के आधार होंगे।

3. अभिसमय के अनुच्छेद 16 के अनुसरण में, इस बात पर सहमति दी जाती है कि दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र से अथवा के लिए प्रचालक सेवाओं पर एक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित कोई भी विमान, अन्य संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के भीतर रहते, विमान के दस्तावेजों तथा इसके कर्मीदल के दस्तावेजों की वैधता और विमान तथा इसके उपस्कर की प्रत्यक्ष स्थिति दोनों की जांच के लिए विमान के भीतर तथा इसके आस-पास, अन्य संविदाकारी पक्षकार

के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच (इस अनुच्छेद में जिसे "रैम्प इंस्पेक्शन" कहा गया है) के अध्यधीन होंगे, बशर्ते कि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप अनौचित्यपूर्ण विलंब न हो।

4. यदि ऐसे रैम्प इंस्पेक्शन अथवा श्रृंखलाबद्ध रैम्प इंस्पेक्शनों से निम्नलिखित को बढ़ावा मिलता है:

क) ऐसी गंभीर चिंताएं, कि विमान अथवा विमान के प्रचालन में, उस समय अभिसमय के अनुसरण में न्यूनतम मानकों को अनुपालन नहीं किया गया है; अथवा

ख) ऐसी गंभीर चिंताएं, कि उस समय अभिसमय के अनुसरण में स्थापित संरक्षा मानकों के प्रभावी अनुरक्षण तथा प्रशासनमें खामी रही है;

तो रैम्प इंस्पेक्शन करने वाला संविदाकारी पक्षकार, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनार्थ, यह निष्कर्ष निकालने के लिए मुक्त होगा कि जिन अपेक्षाओं के तहत उस विमान के संबंध में, अथवा उस विमान के कर्मीदल के संबंध में प्रमाणपत्र अथवा लाइसेंस जारी किए गए अथवा वैध करार दिए गए थे, अथवा जिन अपेक्षाओं के तहत उस विमान को प्रचालित किया जा रहा है, वे अपेक्षाएं अभिसमय के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों के समान अथवा ऊपर नहीं हैं।

5. ऐसी स्थिति में जब इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसार एक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन द्वारा प्रचालित विमान का रैम्प इंस्पेक्शन किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रवेश को उस एयरलाइन (एयरलाइनों) के प्रतिनिधि द्वारा मना कर दिया जाता है, अन्य संविदाकारी पक्षकार यह मानने, कि इस अनुच्छेद के पैरा 4 में संदर्भित गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं और उस पैरा में संदर्भित निष्कर्ष निकालने के लिए मुक्त होगा।

6. यदि प्रथम संविदाकारी पक्षकार, चाहे तो एक रैम्प इंस्पेक्शन, श्रृंखलाबद्ध रैम्प इंस्पेक्शन, रैम्प इंस्पेक्शन के लिए प्रवेश को मना कर दिए जाने, परामर्श अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि

एयरलाइन प्रचालन की सुरक्षाके लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के पास अन्य संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार को निलंबित अथवा परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

7. इस अनुच्छेद के पैरा 2 अथवा 6 के अनुसार एक संविदाकारी पक्षकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी यदि एक बार ऐसी कार्रवाई करने का आधार समाप्त हो जाए।

अनुच्छेद 14
विमानन सुरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों के अनुरूप दोनों संविदाकारी पक्षकार पुन: इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस करार का अभिन्न अंग है । अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को कम किए बिना, दोनों संविदाकारी पक्षकार विशेष रूप से, 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किए गए अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसंबर,1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरुद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितंबर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि विरुद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा वाले विधि विरुद्ध कृत्यों के दमन, मांट्रियल में 1 मार्च, 1991 को अभिज्ञान के उद्देश्य से प्लास्टिक विध्वंसकों की निशानदेही के अभिसमय तथा विमानन सुरक्षा से संबंधित अन्य कोई अभिसमय जिसके दोनों संविदाकारी पक्षकार सदस्य हैं, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किए जाने पर, दोनों संविदाकारी पक्षकार गैर कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों संविदाकारी पक्षकार, अपने परस्पर संबंधों में,अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के

अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक वे इन पक्षकारों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमान सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

4. इस पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे पक्षकारों द्वारा उस संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय तथा वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय अपेक्षित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है और उसके राज्य क्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान सामग्री विमान में लादने से पहले या उसके दौरान, उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार किसी विशेष खतरे का सामना करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए एक दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर कानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो दोनों संविदाकारी पक्षकार, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब एक संविदाकारी पक्षकार के पास यह विश्वास करने के औचित्यपूर्ण आधार हो कि दूसरा संविदाकारी पक्षकार इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से विमुख हो गया है, तो उस संविदाकारी पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तुरंत परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 (प्रचालनिक प्राधिकारों को रोक कर रखना, प्रतिसंहरित, निलम्बित या सीमित करना)

के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, इस अनुरोध की तिथि के पंद्रह (15) दिनों के भीतर किसी संतोषजनक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने पर उस संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकार वापस लिए जाने, समाप्त किए जाने, सीमित किए जाने अथवा उन पर शर्तें लगाने का आधार बन जाएंगे।

7. जब किसी तुरंत और असाधारण जोखिम द्वारा अपेक्षित हो, एक संविदाकारी पक्षकार पंद्रह (15) दिनों की समाप्ति से पूर्व अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

8. इस अनुच्छेद के पैरा 6 या 7 के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी यदि दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

अनुच्छेद- 15
सीमा शुल्क और अन्य करों से छूट

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को इसके विमान, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, स्पेयर पार्टज जिनमें इंजन शामिल है, नियमित विमान उपस्कर, तथा विमान भण्डार (जिनमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसे उत्पाद शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है) तथा अन्य मदों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन का चिन्ह अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य प्रचार पर अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सीमा शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा अन्य राष्ट्रीय शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

2. इस अनुच्छेद के तहत छूटें केवल तभी प्रदान की जायेंगी जब पैरा 1 में संदर्भित मदें:

(क) दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अथवा उसकी ओर से उस संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में लाई गई हों;

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान पर एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान में रखी गई हों;

(ग) सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतु एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर उड़ान के भीतर दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में लाई गई हो।

3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूटें इस तथ्य का ध्यान किए बिना लागू होंगी कि ऐसी मदों का उपयोग तथा उपभोग पूरी तरह से छूट प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के भीतर किया गया है अथवा नहीं, बशर्तें कि ऐसी मदों का स्वामित्व उक्त संविदाकारी पक्षकार के राज्य में स्थानांतरित न किया गया हो।

4. सीधे पारगमन वाले बैगेज और कार्गो को सीमाशुल्क और अन्य समान करों से छूट प्राप्त है परंतु यह कि ये सीमाशुल्क की निगरानी या नियंत्रण के अधीन होंगे।

5. किसी भी संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर नियमित वायुवाहित उपस्कर के साथ-साथ सामान्यत: रखी गई सामग्री, भंडारण और आपूर्तियों को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में उस संविदाकारी पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी मदों को इतने समय तक उक्त प्राधिकारियों के अनुमोदन से उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी मदों को इतने समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जा सकता है जब तक कि सीमा-शुल्कों विनियमों के अनुसार उनका पुन: निर्यात अथवा अन्यथा निपटान न कर दिया जाए।

अनुच्छेद 16
वाणिज्यिक अवसर

1. दूसरे संविदाकारी पक्षकार की विधियों और विनियमों के साथ साथ उसकी घरेलू विधियों या प्रयोज्य दोहरे कराधान वंचन करार के अध्यधीन,प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार होंगे:

क) दूसरे संविदाकारी पक्षकार की प्रवेश, आवास और रोजगार से संबंधित विधियों और विनियमों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं ओर अन्य अनुषंगी उत्पादों और सुविधाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित प्रबंधकीय,बिक्री, तकनीकी, प्रचालनिक और अन्य विशेषज्ञ कर्मचारियों, कार्यालय उपस्करों और अन्य संबंधित उपस्करों और प्रोत्साहन सामग्रियों को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र मेंलाने और अनुरक्षित करने का अधिकार;

ख) एयरलाइन (एयरलाइनों) के विवेकाधिकारपर, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रचालन करने वाले किसी अन्य संगठन, कम्पनी या एयरलाइन के कार्मिकों की सेवाओं का प्रयोग करने और उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार;

ग) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित हवाई सेवाओं और अन्य अनुषंगी उत्पादों और सुविधाओं के प्रावधान, प्रोत्साहन और बिक्री के प्रयोजनार्थ कार्यालय स्थापित करने का अधिकार;

घ) उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में, प्रत्यक्षत: और, अपने विवेकाधिकार पर, अपने एजेंटों या अन्य मध्यस्थों के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं और संबंधित अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की बिक्री और विपणन करने का अधिकार। इस प्रयोजनार्थ, एयरलाइन (एयरलाइनों) को अपने स्वयं के पारवहन दस्तावेजों का प्रयोग करने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति दूसरे देशों की स्थानीय मुद्रा और स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में ऐसे पारवहन और इसके

अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं का क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा;

ङ) ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा हवाई पारविहन और अन्य अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की बिक्री के संबंध में ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा स्थानीय रूप से संवितरित राशियों से अधिक अर्जित स्थानीय राजस्वों के साथ-साथ ऐसे राजस्वों (जिनमें अंतरण के लिए प्रतीक्षित जमा राशियों पर अर्जित ब्याज भी शामिल है) पर अर्जित ब्याज को, मांग किए जाने पर, किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित और विप्रेषित करने का अधिकार। परिवर्तन और विप्रेषण की अनुमति तत्परता से चालू संव्यवहारों के लिए प्रयोज्य विनिमय दर और वाहक द्वारा विप्रेषण के लिए प्रारंभिक आवेदन किए जाने की तारीख को विप्रेषण की दर पर किया जाएगे; और

च) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में स्थानीय व्ययों के लिए भुगतान करने का अधिकार, जिसमें ईंधन की खरीद भी शामिल है। अपने विवेकाधिकार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनें) दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ऐसे व्ययों के लिए भुगतान दूसरे संविदाकारी पक्षकार के स्थानीय मुद्रा विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में कर सकता है।

2. यदि एक संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) के अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाता है, तो दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा पहले संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 17
सहकारी विपणन व्यवस्थाएं

1. विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) निम्न के साथ सहकारी विपणन व्यवस्थाएं जैसे कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस अथवा किसी अन्य संयुक्त उद्‌यम व्यवस्था संबंधी करार कर सकती हैं:-

(क) उसी संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें); अथवा
(ख) दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें); अथवा
(ग) किसी तीसरे देश की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें)

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ, अनुतट (केबोटाज) अधिकारों का प्रयोग किए बिना, वाया (थ्रू) अंतरराष्ट्रीय यातायात के वहन के लिए, दूसरे संविदाकारी पक्षकार (घरेलू कोड शेयर) के राज्यक्षेत्र के भीतर पहले संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के लिए इस प्रयोजरार्थ एक गंतव्य (प्वाइंट ऑफ कॉल) और किसी अन्य गंतव्य (गंतव्यों) के बीच के साथ-साथ गंतव्यों के बीच सहयोगी विपणन व्यवस्थाएं कर सकता है।

3. सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में शामिल सभी प्रचालक एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास मार्ग अधिकारों सहित अधीनस्थ (अंडरलाइंग) यातायात अधिकार होंगे तथा जो ऐसी व्यवस्था विषयक सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

4. सहकारी व्यवस्थाओं में शामिल सभी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अधीनस्थ (अंडरलाइंग) मार्ग अधिकार होंगे तथा जो ऐसी व्यवस्थाओं विषयक सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

5. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत निष्पादित विमान सेवाओं के जरिए प्रचालित कुल क्षमता की गणना, प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार की क्षमता हकदारी में से ही की जाएगी। ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) द्‌वारा पेश की गई क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले संविदाकारी पक्षकार की क्षमता हकदारी में से नहीं की जाएगी।

6. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को विमानों की संख्या, आकार और प्रकार की दृष्टि से बिना किसी प्रतिबंध के कोड शेयर प्रचालनों में शामिल विमानों के बीच यातायात अंतरित करने की अनुमति होगी।

7. प्रचालनकर्ता एयरलाइन (एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) से अनुमोदन हेतु अनुसूचियां दाखिल करने तथा सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत विमान सेवाएं आरंभ करने से पूर्व कोई अन्य दस्तावेज भी मुहैया करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

8. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत बिक्री संबंधी सेवाओं को होल्ड आउट करते समय, संबंधित एयरलाइन अथवा इसका एजेंट बिक्री के समय खरीदार को यह स्पष्ट करेगा कि कौन सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा सेक्टर पर प्रचालन एयरलाइन होगी तथा खरीदार कौन-सी एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ संविदागत संबंध बनाने जा रहा है।

9. कोड शेयरिंग सेवाएं मुहैया करने से पहले, कोड शेयरिंग भागीदार इस बात पर सहमत हो कि कौन-सा संविदाकारी पक्षकार सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा (फेसिलिटेशन), दायित्व तथा यात्रियों से संबंधित अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे करार को कोड शेयर व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने से पहले, दोनों पक्षकारों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास दाखिल किया जाएगा।

अनुच्छेद-18
लीज (पट्टा) प्रक्रिया

1. सहमत सेवओं के प्रचालन के लिए एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्षकार की राष्ट्रीय विधियों और विनियमों के अनुसार होगा।

2. कोई भी संविदाकारी पक्षकार इस करार के अधीन सेवाओं के लिए पट्टे पर लिए विमानों के प्रयोग को रोक सकता है, जो इस करार के अनुच्छेद 13 (हवाई संरक्षा) और अनुच्छेद 14 (विमानन सुरक्षा) का अनुपालन न करते हों।

अनुच्छेद-19
इंटरमोडल सेवाएं

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान के लिए या किसी भी स्थान से यात्रियों तथा कार्गो के विमान परिवहन के संबंध में किसी प्रकार के इंटरमॉडल परिवहन को लगाने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनें) अपने स्वयं के इंटरमाडल परिवहन के निष्पादन या अन्य वाहकों के साथ कोड शेयर सहित व्यवस्थाओं का चयन कर सकती है। इंटरमॉडल सेवाएं थ्रू सेवा के रूप में और विमान तथा इंटरमॉडल संयुक्त परिवहन के माध्यम से इसका प्रावधान करने के लिए एकल मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएंगी, बशर्ते यात्रियों और शिपरों को ऐसे पारवहन के प्रदाताओं के विषय में सूचित किया जाए।

अनुच्छेद- 20
परामर्श और संशोधन

1. निकट सहयोग की भावना सहित, संविदाकारी पक्षकारों के वैमानिक प्राधिकारी, इस करार और इसके साथ संलग्न अनुबंध के प्रावधानों का कार्यान्वयन, और संतोषजनक अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय समय पर एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे और जब कभी आवश्यक हो, इस करार या इसके अनुबंध में सेशोधन के लिए प्रावधान करने के लिए परामर्श करेंगे।

2. कोई भी संविदाकारी पक्षकार ऐसे परामर्शों का अनुरोध कर सकता है, जो विचार-विमर्श के माध्यम से या पत्राचार द्वारा किए जा सकते हैं। जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, ऐसे परामर्श दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होंगे।

3. इस करार को संविदाकारी पक्षकारों के लिखित करार द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

4. इस प्रकार सहमत कोई भी करार इस करार के अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तित होगा।

5. पैराग्राफ (4) के बावजूद, संविदाकारी पक्षकार इस करार के अनुबंध में किसी संशोधन को तुरंत लागू करने पर सहमत हैं।

अनुच्छेद- 21
बहुपक्षीय करार

1. इस करार को कार्यान्वित करने के क्रम में, संविदाकारी पक्षकार अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे जब तक कि ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए लागू हैं।

2. इस करार के लागू होने के पश्चात, यदि दोनों संविदाकारी पक्षकार इस करार में शामिल मामलों का समाधान करने वाले बहुपक्षीय करार के संविदाकारी पक्षकार बन जाते हैं तो कोई भी संविदाकारी पक्षकार यह निर्धारित करने के लिए परामर्शों के लिए अनुरोध कर सकता है कि क्या बहुपक्षीय करार को ध्यान में रखते हुए इस करार में संशोधन किया जाएगा।

अनुच्छेद 22
विवादों का निपटान

1. यदि इस करार की व्याख्या या अनुप्रयोग के संबंध में संविदाकारी पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होताहै, तो संविदाकारीपक्षकार, सबसे पहले, उसविवाद का समाधान परामर्श और वार्ताओं के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे।

2. यदि उपरोल्लिखित तरीकों से समाधन पर नहीं पहुँचा जा सके, तो विवाद को, दोनों संविदाकारी पक्षकारों की सहमति से, विवाद को निर्णय के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को संदर्भित किया जाएगा। यदि संविदाकारी इस प्रकार सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद को, किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर, एक न्यायाधिकरण (यहां इसके पश्चात "माध्यस्थ न्यायाधिकरण" कहा जाएगा) को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें तीन माध्यस्थ होंगे, जिनमें से प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार द्वारा एक माध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी और तीसरे की नियुक्ति इस प्रकार नियुक्त किए गए माध्यस्थों की सहमति से की जाएगी। तीसरा ऐसा माध्यस्थ किसी

भी संविदाकारी पक्षकार का राष्ट्रिक नहीं होगा और माध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, माध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विवाद की मध्यस्थता का अनुरोध करते हुए राजनयिक चैनलों के माध्यम से, किसी भी संविदकारी पक्षकार द्वारादूसरे संविदाकारी पक्षकार की ओर से एक सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिन के भीतर एक माध्यस्थ की नियुक्ति करेगा, और तीसरे माध्यस्थ की नियुक्ति अगले साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी। यदि कोई भी संविदाकारी पक्षकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक माध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहता है अथवा यदि तीसरे माध्यस्थ की नियुक्ति विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं होती है, तो किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की काउंसिल के अध्यक्ष से एक माध्यस्थ, या माध्यस्थों, जेसा भी मामले में अपेक्षित हो, की नियुक्ति का अनुरोध किया जा सकता है। यदि अध्यक्ष किसी एक संविदाकारी पक्षकार की राष्ट्रीयता वाला है, तो सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जो उस आधार पर अयोग्य न हो, यह नियुक्ति करेगा।

4. जब तक अन्यथा सहमति न हो, माध्यस्थ न्यायाधिकरण इस करार के अनुसार अपने अधिकारक्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगा और अपनी स्वयं की कार्यविधि निर्धारित करेगा।

5. एक बार गठन होने के बाद, माध्यस्थ न्यायाधिकरण, अपने अंतिम निर्णय के लंबित रहते, अंतरिम राहत उपयों की सिफारिश कर सकता है। माध्यस्थ न्यायाधिकरण के निदेश पर या किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर माध्यस्थ किए जाने वाले निश्चित मुद्दों और अपनाई जाने वाली विनिर्दिष्ट कार्यविधियों को निर्धारित करने के लिए, न्यायाधिकरण के पूर्णतया गठित हो जाने के बाद अधिकतम पंद्रह (15) दिन के भीतर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

6. जब तक अन्यथा सहमति न हो या जैसा कि माध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, माध्यस्थ न्यायाधिकरण के पूर्णतया गठित होने के समय के पैंतालीस (45) दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर साठ (60) दिन बाद देय होंगे। माध्यस्थ न्यायाधिकरण किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर या उत्तरों के देय होने के बाद पंद्रह (15) दिन के भीतर अपनी खुद की पहल पर एक सुनवाई आयोजित करेगा।

7. माध्यस्थ न्यायाधिकरण सुनवाई के पूरा होने के बाद, तो 30 दिन के भीतर या, यदि कोई सुनवाई न हो, दोनों उत्तरों के प्रस्तुत किएजाने के बाद, एक लिखित निर्णय देने का प्रयास करेगा। माध्यस्थ न्यायाधिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

8. कोई भीसंविदाकारी पक्षकार, निर्णय लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

9. अधिकरण के व्यय, जिनमें माध्यस्थ न्यायाधिकरण के शुल्क और खर्चे शामिल हैं, पक्षकारों द्वारा समान अनुपात में साझे किए जाएंगे। इस अनुच्छेद के पैरा (3) में निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय पर अधिकरण के व्ययों के भाग के रूप में विचार किया जाएगा।

10. संविदाकारी पक्षकार, अपनी राष्ट्रीय विधियों के अनुरूप सीमा तक, माध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय (निर्णयों) का अनुपालन करेंगे।

अनुच्छेद-23
करार समापन

कोई भी संविदाकारी पक्षकार, किसी भी समय, इस करार को समाप्त करने के अपने निर्णय की सूचना अन्य संविदाकारी पक्षकार को, लिखित में दे सकता है। ऐसी सूचना साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजी जाएगी। यह करार उस अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा ऐसी सूचना को प्राप्त करने की तिथि के बाद प्रथम वर्ष पूरा होने से तत्काल पहले सूचना प्राप्त होने के स्थान पर मध्य रात्रि को समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस सूचना को इस अवधि की समाप्ति से पहले पक्षकारों की सहमति से वापस न ले लिया जाए। अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा पावती दिए जाने के अभाव में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख के चौदह (14) दिन बाद नोटिस प्राप्त किया माना जाएगा।

अनुच्छेद 24
अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकरण

1. इस करार तथा इसके सभी संशोधन, उस संविदाकारी पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकृत कराए जाएंगे, जिसके राज्यक्षेत्र में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनुच्छेद 25
प्रभावी होना

यह करार संविदाकारी पक्षकारों के बीच, यह पुष्टि करते हुए, कि इस करार को लागू करने के लिए उनकी अपनी-अपनी संवैधानिक कार्यविधियां पूरी की जा चुकी हैं, राजनयिक टिप्पणियों के आदान प्रदान द्वारा बाद की टिप्पणी की तारीख का प्रवर्तित होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होने के कारण, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक 19 सितंबर वर्ष 2018 को नई दिल्ली में हिंदी, अंग्रेजी और अरबी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में कार्यान्वित किया गया, और तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे।

व्याख्या में कोई असहमति होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते भारत गणराज्य सरकार

(सुरेश प्रभु)
नागर विमानन, वाणिज्य एवं उददयोग मंत्री

कृते मोरक्को साम्राज्य सरकार

(मोहम्मद साजिद)
विमान परिवहन, पर्यटन, हस्तशिल्प एवं सामाजिक आर्थिक मामले मंत्री